न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी– श्री प्रमोद कुमार सिन्धव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 97/15

1. उमा शंकर ।– पिसरान औंकार लाल आत्मज मोहनलाल, जाति गुर्जर,
2. गौरी शंकर । निवासीगण बन्धा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा हाल मुकाम
3. दुर्गा शंकर –। शिवपुरा, कोटा
4. देवीशंकर आत्मज औंकार लाल, निवासी बन्धा मृतक जरिये कायम मुकामान–

4/1 कान्तिबाई विधवा पत्नी देवीशंकर

4/2 रवि कुमार पुत्र देवी शंकर

4/3 नवीन पुत्र देवी शंकर

जाति गुर्जर, निवासीगण ग्राम बन्धा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा हाल मुकाम माताजी के मन्दिर के पास, कुन्हाडी, कोटा

(वादीगण)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 91 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955

दिनांक : 12.09.2017

निर्णय

वादीगण की ओर से वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादीगण के पिता औंकारलाल आत्मज मोहनलाल, जाति गुर्जर निवासी बन्धा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खाते में खसरा नम्बर 134 की 5 बीघा, खसरा नम्बर 414 की 13 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 416 की 2 बीघा 15 बिस्वा कुल किता तीन रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा आराजी औंकारलाल जी के स्वर्गवास उपरान्त से ही उक्त आराजी वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है।

बाद सेटलमेन्ट गत खसरा नम्बर 414 के नये खसरा नम्बर 163, गत खसरा नम्बर 416 के नये खसरा नम्बर 149, 161, 164, 165, 166 तथा गत खसरा 134 के नये खसरा नम्बर 144, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 154 कायम किये गये है। वादी की आराजी के गत रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा के अनुसार वर्तमान पद्यति में 1.34 हैक्टर होते है जबकि गत खसरा नम्बर 414 कि नये खसरा नम्बर 163 का रकबा 0.07 हैक्टर कायम कर वादी की खातेदारी में दर्ज किया गया है, जो कि गत रकबे के मुकाबले 1.27 हैक्टर कम है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि ग्राम बन्धा, तहसील लाडपुरा के पुराने खसरा नम्बर 134, 414, 416 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा के अनुसार वादी के खाते दर्ज खसरा नम्बर 163 की 0.07 के अतिरिक्त 1.27 हैक्टर आराजी का वादी को खातेदार घोषित कर वादी के खाते कुल 1.34 हैक्टर आराजी दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

दौराने वाद, प्रतिवादी की ओर से 90 दिवस उपरान्त भी जवाब दावा पेश नहीं करने पर वादी वकील की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर जवाब दावा बन्द किये जाने का निवेदन किया गया जिसके फलस्वरूप न्यायालय पत्रांक रीडर/एसीएम/739 दिनांक 27.03.2017 से जवाब दावा एवं साक्ष्य हेतु प्रतिवादी तहसीलदार को लिखे जाने के बावजूद भी जवाब दावा व साक्ष्य आदि पेश नहीं होने पर वादी के आवेदनानुसार आदेश 1 नियम 13 सीपीसी के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी का जवाब दावा, साक्ष्य आदि बन्द किया गया।

दौराने वाद प्रकरण के बहस में आने पर वादी वकील की बहस अन्तिम सुनी गई। वादी वकील द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुये उनकी आराजी के गत रकबे के मुकाबले कम हुये रकबे की पूर्ति हेतु निवेदन किया गया। वादी वकील द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय न्यायालयों के गत निर्णयों की नजीरें आर.एल.डबल्यू 2006 (1) आर.जे. 290, आर.आर.टी. 2013 (1) पेज 391, आर.आर.टी. 2001 (1) पेज 244, आर.आर.टी. 2008 (1) पेज 151 एच.सी., आर.आर.टी. 2001 (1) पेज 244 एच.सी., व 200 आर.आर.टी. 1993 पेज 44 पेश की गई है। उक्त नजीरों के आधार पर सेटलमेन्ट को बिना विधिक प्रक्रिया के या बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के प्रविष्टि में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है।

हमने वादी वकील की बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मुताबिक नामान्तरकरण पंजिका के इंतकाल नं. 96 (प्रदर्श–2) एवं मुताबिक जमाबन्दी संवत 2032–2035 (प्रदर्श–1) के अनुसार ग्राम बन्दा के गत खसरा नम्बर 134, 414 एवं 416 की 8 बीघा 8 बिस्वा आराजी वादी क्र. 1, 2, 3, 4 के पिता औंकार आत्मज मोहन गूजर के खाते दर्ज रेकार्ड थी। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2038–2057 गत खसरा नम्बर 134 के नये खसरा नम्बर 144, 146, 148, 150, 151, 152, 154, 160, गत खसरा नम्बर के नये खसरा नम्बर 163 तथा गत खसरा नम्बर 416 के नये खसरा नम्बर 161, 164, 165, 166, 169, 172 कायम किये गये। इन नये खसरा नम्बरान में से खसरा नम्बर 151, 154 व 160 राज्य सरकार के खाते दर्ज है, शेष खसरा नम्बरान में से खसरा नम्बर 146, 150, 164, 165 व 166 नगर विकास न्यास, कोटा के खाते दर्ज रेकार्ड है तथा खसरा नम्बर 144, 152, 161, 169 व 172 अन्य पक्षकारान के खाते दर्ज है।

वर्तमान खसरा नम्बर 163 का रकबा 0.07 हैक्टर दर्ज करते हुये वादीगण के पिता की खातेदारी में दर्ज कर दिया जबकि सेटलमेन्ट से पूर्व उनकी खातेदारी में 8 बीघा 8 बिस्वा आराजी दर्ज थी, तथा 8 बीघा 8 बिस्वा के वर्तमान पद्यति अनुसार 1.34 हैक्टर होते है। इसी बाबत वादीगण द्वारा वाद पेश कर शेष रकबा की कमी पूर्ति किये जाने का निवेदन किया गया। विवादित आराजी के नक्शा संवत 2012–2013 तथा संवत 2033–34 के तुलनात्मक अध्ययन से भी स्पष्ट है कि वादी के पिता के खाते गत खसरा नम्बर 414 के नये खसरा नम्बर 163 को ही वादीगण के पिता के खाते दर्ज किये गये। खसरा नम्बर 163 के अतिरिक्त बने अन्य सभी खसरा नम्बरान अन्यत्र कर दिये गये। अतः स्पष्ट है कि वादीगण के पिता के खाते दर्ज 1.34 हैक्टर की पूर्ति की जानी है जबकि वर्तमान में उनके खाते 0.07 हैक्टर ही दर्ज है। उपरोक्त विवेचन तथा मिलान क्षेत्रफल संवत 2038–2057 (प्रदर्श–3) व मौजा नक्शा के अवलोकन अध्ययन से वादीगण के पिता के खाते दर्ज वर्तमान खसरा नम्बर 163 के सन्निकट अडवा ही खसरा नम्बर 154 रकबा 5.53 स्थित है। उक्त खसरा नम्बर 154, गत खसरा नम्बर 134 से ही बनाया गया है तथा

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

वर्तमान नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 154 वादी के वर्तमान में दर्ज खसरा नम्बर 163 के ही सन्निकट अडवा स्थित है। खसरा नम्बर 154 वर्तमान में सिवायचक दर्ज रेकार्ड है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम बन्धा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 154 की 5.53 हैक्टर आराजी में से 1.27 हैक्टर कम करते हुये राजकीय सिवायचक 154 का रकबा 4.26 दर्ज किये जाने तथा खसरा नम्बर 163 रकबा 0.07 हैक्टर में 1.27 हैक्टर जोडकर खसरा नम्बर 163 का रकबा 1.34 हैक्टर दर्ज किये जाने और तदनुसार नक्शा तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार लाडपुरा को आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवाये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.09.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार सिन्धव)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी :– **प्रमोद कुमार सिन्धव, आर0ए0एस0**

बउनवान :

1. उमा शंकर | – पिसरान औंकार लाल आत्मज मोहनलाल, जाति गुर्जर, निवासीगण बन्धा,
2. गौरी शंकर | तहसील लाडपुरा, जिला कोटा हाल मुकाम शिवपुरा, कोटा
3. दुर्गा शंकर –|
4. देवीशंकर आत्मज औंकार लाल, निवासी बन्धा मृतक जरिये कायम मुकामान–

4/1 कान्तिबाई विधवा पत्नी देवीशंकर

4/2–3 रवि कुमार, नवीन पुत्रान देवी शंकर
जाति गुर्जर, निवासीगण ग्राम बन्धा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा हाल मुकाम माताजी के मन्दिर के पास, कुन्हाडी, कोटा (वादीगण)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (प्रतिवादी)

दावा बाबत : 88, 81 RTA
मुकदमा नम्बर : 97/15
निर्णय दिनांक : 12.09.2017

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से वादी वकील श्री अरूण कुमार जैन की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 12–09–2017 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार सिन्धव आर.ए.एस. के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम बन्धा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 154 की 5.53 हैक्टर आराजी में से 1.27 हैक्टर कम करते हुये राजकीय सिवायचक 154 का रकबा 4.26 दर्ज किये जाने तथा खसरा नम्बर 163 रकबा 0.07 हैक्टर में 1.27 हैक्टर जोडकर खसरा नम्बर 163 का रकबा 1.34 हैक्टर दर्ज किये जाने और तदनुसार नक्शा तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार लाडपुरा को आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवाये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।
खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 12.09.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(प्रमोद कुमार सिन्धव)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		अर्जी के लिये स्टाम्प	
अदर्शो के लिये स्टाम्प		प्लीडर के लिये फीस	
.... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामिल	
कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	